

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें राज0 जयपुर

क्रमांक :- ई-18/एम/एसीपी- /2017/

दिनांक :

आदेश

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ.11 (7)वित्त/नियम/2008 दिनांक 12.09.2008 एवं संशोधित आदेश क्रमांक एफ.14 (88)वित्त.(नियम)/2008-I दिनांक 31.12.2009 एवं दिनांक 05.07.2013 में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार श्री कालूराम, लिपिक ग्रेड-द्वितीय, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर जिनकी राज्य सेवा में प्रथम नियुक्ति तिथि 21.03.1995 है तथा राज्य सेवा में 18 वर्ष की सेवा अवधि दिनांक 21.03.2013 को पूर्ण करली है। वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ.14(88)/एफडी/रूल्स/2008-II दिनांक 01.06.2017 की अनुपालना में दो से अधिक संतान होने के कारण 3 वर्ष पश्चात दिनांक 01.06.2017 से 9300-34800 व ग्रेड पे 3600 एसीपी स्वीकृत किया जाता है।

उक्त कर्मचारी का वेतन नियतन संबंधित प्रशासनिक अधिकारी द्वारा पृथक से किया जावेगा।



(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशा0)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राज0 जयपुर

क्रमांक :- ई-18/एम/एसीपी- /2017/1756

दिनांक : 28/07/17

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर।
2. श्री कालूराम, लिपिक ग्रेड-द्वितीय को सूचनार्थ।
3. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने का श्रम करे।
4. आदेश/निजी पत्रावली।



अतिरिक्त निदेशक (प्रशा0)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राज0 जयपुर